मेरठ विकास प्राधिकरण

की

44वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 24—2—92

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 24-2-92

समय : प्रातः 11 बजे
स्थान : शिविर कार्यालय

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

उपस्थिति :

1-	श्री जे०एन०रन्जन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री निर्मल कुमार जैन	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री तुलसी गौड	जिलाधिकारी, मेरठ ।	सदस्य
4-	श्री शंकर अग्रवाल	विशेष सचिव (वित्त)	सदस्य
5-	श्री जे०पी०भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
6-	कु० नीता चौधरी	विशेष सचिव, आवास	सदस्य
7-	श्री वी०के०गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, मेरठ ।	सदस्य
8-	श्री ओ०एन०द्विवेदी	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ ।	सदस्य

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 24-2-92 का कार्यवृत्त ।

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 24-2-92 को मण्डलायुक्त/अध्यक्ष , मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में उनके शिविर कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया ।

1-	श्री जे०एन०रन्जन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री एन०के०जैन	मुख्य नगर अधिकारी/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	कु० नीता चौधरी	विशेष सचिव, आवास, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।	सदस्य
4-	श्री शंकर अग्रवाल	विशेष सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।	सदस्य
5-	श्री जे०पी०भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।	सदस्य
6-	श्री ओ०एन०द्विवेदी	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ ।	सदस्य

मद संख्या-1

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 9-9-91 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

गत बैठक दिनाँक 9-9-91 के कार्यवृत्त की निम्न प्रकार पुष्टि की गयी।

मद संख्या - 2(1)

बैठक दिनाँक 9-9-91 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।

विगत बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें कोई अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

मद संख्या- 2(2)

इलैक्ट्रावर्ड के भवन मानचित्र संख्या - 20/91 पर विचार।

इलैक्ट्रावर्ड के मानचित्र से सम्बन्धित पूर्व में रखे गये प्रस्ताव तथा पारित प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया जिसमें विशेष सचिव के पत्र पर भी विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि दिनाँक 9-9-91 को इस सम्बन्ध में जो कार्यवृत ठीक से नहीं लिखी गयी है उसमें त्रुटिवश अधिकारी विशेष का नाम उल्लिखित हो गया था जिसका सुधार किया गया क्योंकि निर्णय सर्वसम्मति से था। इलैक्ट्रावर्ड के मानचित्र के सम्बन्ध में अन्तिम रुप से यह निर्णय हुआ कि चूँकि यह मामला जोनिंग रेग्यूलेशन के संशोधन के सम्बन्ध में है। अतः इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोंट तैयार करते हुए शासन को सन्दर्भित किया जाये कि रिक्रयेशन पार्क/अम्यूजमेन्ट पार्क को किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

मद संख्या-2 (3)

प्रचार एवं प्रसार मद में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान।

शासन के निर्देशानुसार यह निर्णय हुआ कि प्रचार प्रसार में केवल अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा प्राधिकरण से सम्बन्धित योजनाओं के बारे में ही विज्ञापन दिये जायें।

मद संख्या- 2(4)

मैसर्स सूर्या प्रिन्टर्स ग्राम रिठानी में स्थित भूमि खसरा सं० -1043 क्षेत्रफल 0-18-0 बीघा को प्राधिकरण की योजना में समायोजित किये जाने का प्रस्ताव।

यह निर्णय किया गया कि प्राधिकरण हेतु भूमि को योजना में समायोजन सम्बन्धी सभी मामले एक साथ प्रस्तुत किये जायें।

मद संख्या - 2(5)

भूमि अर्जन के पुराने प्रस्ताव जिनमें भूमि की स्वीकृति बोर्ड द्वारा दी गयी है और जिसमें धारा - 4-6-17 की विज्ञप्तियाँ अभी तक निर्गत नहीं हुई हैं उनको बनाये रखना अथवा निरन्तर करने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव।

यह प्रस्ताव किया गया कि ऐसे प्रस्ताव जिनमें धारा - 4-6-17 की विज्ञप्ति नहीं हुई है, को इस दृष्टिकोण से देख लिया जाये कि प्राधिकरण के लिये उसका अर्जन करना किस हद तक उचित होगा और इस प्रकार परीक्षण के उपरान्त ठोस प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जायें।

मद संख्या - 2 (6)

मेरठ - दिल्ली मार्ग पर ग्राम बराल परतापुर में खसरा नं०-756अ तथा 756ब (नीलगिरि सीमेन्ट) का भूउपयोग ।

इस सम्बन्ध में पूर्व ही बाँछित कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

मद संख्या - 2 (7)

नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा स्वीकृति रू० 2782-07 लाख ऋण का डाकूमेन्टेशन।

कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

मद संख्या - 2(8)

बैंकों से रु० 10 करोड की सीमा स्वीकृत कराने हेतु।

कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

मद संख्या - 2 (9)

जोनिंग रेग्यूलेशन पर विचार।

कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखा गया। अत: यह निर्णय हुआ कि आगामी बैठक में ठोस प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या - 2 (10)

नये भूमि अर्जन का प्रस्ताव।

मेरठ - दिल्ली बाईपास रोड को 225 फीट चौडा मास्टर प्लान रोड मेरठ दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग को मिलाने के लिये 38 बीघा भूमि अर्जित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान को हापुड तक मिलाने के लिये बाँछित भूमि तथा सडक के दोनों ओर आवश्यक भूमि को अर्जित करने के लिये विस्तृत सर्वे करा लिया जाये और तदोपरान्त वित्तीय दृष्टिकोण को शीघ्र अर्जन का प्रस्ताव बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या-2(11-अ)

विकास प्राधिकरण विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के भूस्वामियों को रियायती दरों पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

यह निर्णय लिया गया कि उन भूस्वामियों जिनकी भूमि अर्जित की गयी है/की जाती है, को रियायती दरों पर भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है उन्हें आबंटन मे प्राथमिकता दी जा सकती है। यह भी तय किया गया कि प्राधिकरण ने इस प्रकार का कोई एग्रीमेन्ट किया है तो उसकी विस्तृत आख्या शासन को भेजी जाये।

मद संख्या -2 (11ब)

स्टाफिंग पैटर्न हेतु।

यह निर्णय किया गया कि प्राधिकरण कार्य को देखते हुए आगामी बैठक में ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या - 2 (11स)

वाहन भत्ता बढाये जाने के सम्बन्ध में।

वाहन भत्ता बढाये जाने के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि शासनादेश में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। अत: वाहन भत्ता न दिया जाये और यदि पूर्व से दिया जा रहा है तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जाये।

मद संख्या - ३

महायोजना की अवधि छ: महीने बढाने पर विचार।

सर्वसम्मति से तय किया गया कि पुरानी महायोजना आगामी छ: माह के लिये और बढा दी जाये इस सम्बन्ध में शासन से आवश्यक पत्राचार किया जाये।

मद संख्या - 4

महायोजना के पुनरीक्षण पर विचार।

यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि महायोजना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में पहले स्थानीय स्तर पर विचार विमर्श कर लिया जाये और बाद में ठोस सुझावों के साथ बैठक में रखा जाये।

मद संख्या - 5

सहयुक्त नियोजक द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन के भुगतान पर विचार।

यह प्रस्ताव भी वापस ले लिया गया है परन्तु यह निर्णय लिया गया है कि आगामी बैठक में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये तथा इस बात का उल्लेख किया जाये कि सहयुक्त नियोजक द्वारा पहले 1.70 लाख रुपये का अनुमानित

खर्च निर्धारित किया गया था किन्तु यह 3,13,495-40 कैसे हो गयी और बढी हुई धनराशि के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण रिर्पोट प्रस्तुत की जाये ।

मद संख्या - 6

अवशेष सम्पत्ति को नगद भुगतान पर बेचा जाना ।

अवशेष सम्पत्ति को नगर भुगतान पर बेचे जाने के सम्बन्ध में यह तय किया गया कि अभी तक नगद भुगतान पर यदि सम्पत्ति को बेचा जा रहा है तो तत्काल बन्द कर दिया जाये और भविष्य में अवशेष सम्पत्ति को नीलामी द्वारा ही बेचा जाये ।

मद संख्या - 7

अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में ।

यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया है । इस सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ जिसमें यह बिन्दु आया कि अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण ने शासन को कुछ अपने सुझाव प्रस्तुत किये है । अत: बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण से इस सम्बन्ध में जो सुझाव शासन को प्रस्तुत किये है, की एक प्रति प्राप्त कर ली जाये और उनको कार्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त इस सम्बन्ध में आगामी बैठक में सुझाव प्रस्तुत किये जायें ।

मद संख्या - 8

शताब्दी नगर योजना का अभिकल्पन पुर्नसंगठित करने के सम्बन्ध में ।

शताब्दी नगर आवासीय योजना में अभिकल्पन पुर्नसंगठित करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया जाये । सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और आगे के लिये तय किया गया कि श्री कैन्थ से कार्य पूरा कराने के बाद इस विषय के विशेषज्ञों का एक क्लाज प्रतियोगिता करायी जाये और उनके ज्ञान व अनुभव का लाभ उठाते हुए अभिकल्पन व पुर्नसंगठन का कार्य कराया जाये । विशेषज्ञों के चयन हेतु आयुक्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

तथा उपाध्यक्ष की एक कमेटी बनायी जाये जो विशेषज्ञों का चयन कर अन्तिम स्वीकृति हेतु अपनी रिर्पोट बैठक में रखेगी।

मद संख्या - 9

शासनादेश सं०- 2560/11-5-91-580/डी०ए०/90 दिनाँक 14-5-91 में दी गयी व्यवस्था के अतिरिक्त प्राधिकरण की आबंटित सम्पत्ति को सगे भाई-बहनों जहाँ लाभांश लेने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, के अन्तरण पर विचार।

प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार माता-पिता, पुत्र पुत्रियों में सम्पत्ति का अन्तरण पर कोई लाभांश नहीं लिया जाता है उसी प्रकार सगे भाई बहनों में व्यवसायिक दृष्टिकोण की सम्भावना नहीं होती है। अत: सम्पत्ति का अन्तरण करने पर कोई लाभांश नहीं लिया जायेगा।

मद संख्या - 10

गोमती नगर के अनुरुप मेरठ विकास प्राधिकरण में पत्रकारों के लिये आवासीय सुविधा प्रदान किये जाने पर विचार।

सिद्धान्ततः इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और यह प्राविधान किया गया कि यदि शासन अनुदान की धनराशि देने को तैयार हो तो गोमती नगर योजना के अनुरुप मेरठ में पत्रकारों की आवासीय सुविधा प्रदान की जा सकती है। यह भी तय किया गया कि यदि पत्रकार अपनी कोई समिति गठित करते हैं तो प्राधिकरण पत्रकारों के लिये प्राथमिकता के आधार पर आवासीय भवन/भूखण्ड प्रदान कर सकता हैं किन्तु प्राधिकरण की ओर से कोई रियायत देय नहीं होगी किसी प्रकार की रियायत उसी दशा में सम्भव हो सकेगी यदि शासन द्वारा तदनुसार अनुदान की धनराशि उपलब्ध करा दे।

मद संख्या - 11

चिकित्सा आपूर्ति के सम्बन्ध में।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि श्री मुकेश चन्द्र एक पी०सी०एस० अधिकारी है। अतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये पी०सी०एस० अधिकारियों के लिये जो नियम हों, उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

मद संख्या - 12

शासनादेश के टेलेक्स सं०-5820/11-5-91 दिनाँक 3-8-91 एवं अर्द्धशासकीय पत्र सं०-6168/9 अ-5-91-363/91 दिनाँक 28-10-91 एवं अ० शा० प० सं०-30-टी० एस०-5363/91 दिनाँक 16-11-91 के अनुपालन पर विचार।

यह निर्णय हुआ कि शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाये और शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों की अनुपालन आख्या अलग से बैठक में प्रस्तुत की जाये।

मद संख्या - 13

हैण्डलूम वस्त्र व्यापारी संघ को उनके द्वारा जमा 20 लाख रुपये जोकि हर्ष नगर में नवीन हैण्डलूम वस्त्र मार्केट विकसित करने हेतु जमा किया गया था, को वापस करने हेतु विचार।

इस निर्देश के साथ प्रस्ताव को आगमी बैठक के लिये स्थगित किया गया कि इस सम्बन्ध में विस्तृत रिर्पोट प्रस्तुत की जाये।

मद संख्या - 14

ग्राम रिठानी खास तहसील परगना एवं जिला मेरठ के खसरा सं०-6096,6097,6098,6099,6100 (आंशिक) तथा 6101 भूउपयोग के परिवर्तन के सम्बन्ध में विचारार्थ प्रस्तुत।

यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया है और यह निर्णय हुआ कि महायोजना के पुनरीक्षण की कार्यवाही के समय इस प्रकरण का परीक्षण कर लिया जाये।

मद संख्या - 15

बर्ष 1991-92 के बजट के विपरीत 31 जनवरी, 1992 पर वास्तविक स्थिति।

सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि अब्दुल्लापुर में ग्रहीत किये जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति की धनराशि प्राथमिकता के आधार पर 20-3-92 तक विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय में जमा कर दी जाये। यह भी तय किया गया कि वेतन यात्रा भत्ता के अलावा निर्माण सम्बन्धी किसी भुगतान आयुक्त/अध्यक्ष की अनुमति के पश्चात ही भुगतान किये जायें। यह भी तय किया गया है कि आगामी बैठक में विस्तृत बजट प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या - 16

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 24-2-86 की मद सं०-7 पर लिये गये निर्णय के क्रम में उपाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के ऋण लेने के संकल्प पारित किये हैं जो प्राधिकरण के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

यह सर्वसम्मति से पारित किया गया परन्तु यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकार क आगामी बैठकों में विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त ऋण की विस्तृत विवरण तथा उनकी वापसी की व्यवस्थाओं के बारे में पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए।

मद संख्या - 17

ग्राम अब्दुल्लापुर की 246.93 एकड भूमि जिसकी धारा 4, 6, 17 भूमि अर्जन अधिनियम की विज्ञप्तियाँ दिनाँक 27-1-90 व 7-3-90 को जारी हो चुकी हैं, के अन्तिम एवार्ड घोषित होने के सम्बन्धमें विचार।

सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि दिनाँक 7-3-92 तक ग्राम अब्दुल्लापुर की 246.93 एकड भूमि की प्रतिकर की धनराशि जो 5.32 करोड है, को निशिचत रुप से विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय में जमा करा दी जाये जिससे कि योजना लैप्स होने से बचायी जा सके।

मद संख्या - 18

आवास विकास परिषद द्वारा विकसित कालोनियों के नक्शे पास करने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में यह तय किया गया कि आवास विकास परिषद द्वारा विकसित जो कालोनियाँ हस्तान्तरित की जाती है उनका नोटिफिकेशन होना अति आवश्यक है । इस सम्बन्ध में शासनादेश स्पष्ट है । तदनुसार ही कालोनी के हस्तान्तरण सम्बन्धी अभिलेखों सहित शासन को रिर्पोट भेजी जाये ।

मद संख्या - 19

शासन के आदेश कि गढवाल मण्डलीय विकास निगम से दरवाजे तथा यू०पी०सी०सी० के सीमेन्ट खरीदने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में जो भी शासनादेश विद्यमान हैं उनका अक्षरश: पालन किया जाये और यदि प्राधिकरण को किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो विस्तृत रिर्पोट शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये ।

अन्य विषय

शिक्षण संस्थाओं को रियायती दरों पर भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

शिक्षण संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं में भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण स्तर पर प्राप्त सभी प्रस्तावों को नियमानुसार विस्तृत परीक्षण करा लिया जाये और प्रस्ताव प्राधिकरण में पारित कराने के उपरान्त शासन को आवश्यक आदेशों हेतु रिर्पोट भेज दी जाये ।

अनुमोदित ।

ह०/-

(जे०एन०रंजन)

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।